रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012026-269124
CG-DL-E-06012026-269124

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 5, 2026/पौष 15, 1947
No. 53] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 5, 2026/PAUSHA 15, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2026

का.आ. 56(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुरूपी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामत:-

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड	चैनेज
(1)	(2)	(3)
रारा -20	चम्पुआ - रिमुली के समीप झारखंड/ओडिशा सीमा (ओडिशा राज्य में)	(20.00 किमी)
रारा -49	छत्तीसगढ़/ ओडिशा सीमा के समीप कनकतोरा- झारसुगुड़ा- तिलेबानी खंड (ओडिशा राज्य में)	(160.00 किमी)
रारा -149	ओडिशा राज्य में पलाहारा के निकट एनएच-49 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर तालचर को जोड़ने वाला और बनारपाल (नुआहाटा) में एनएच-55 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।	ओडिशा राज्य में संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग

रारा -53	देवगढ़- तालचर खंड (ओडिशा राज्य में)	(103.00 किमी)

[फा. सं. एनएच- 14013/2/2025-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2026

S.O. 56(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

TABLE

National Highways No.	Section of National Highways	Chainage
(1)	(2)	(3)
NH-20	Jharkhand/ Odisha border near Champua – Rimuli (In the State of Odisha)	(20.00 Km)
NH-49	Chhattisgarh/ Odisha border near Kanaktora- Jharsuguda- Tileibani Section (In the State of Odisha)	(160.00 Km)
NH-149	The highway starting from its junction with NH-49 near Pallahara connecting Talcher and terminating at its junction with NH-55 at Banarpal (Nuahata) in the State of Odisha.	Entire NH in the state of Odisha.
NH-53	Deogarh- Talcher Section (In the State of Odisha)	(103.00 km)

[F. No. NH-14013/2/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2026

का.आ. 57(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों के अनुपालन में ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 19 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"19	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 316 [भुवनेश्वर-पुरी खंड (पुराने एनएच-203 के किमी 0.000 से कि. मी. 59.000 को छोड़कर)], संख्या 516, संख्या 20 [केवल कुआखिया-जाजपुर- अरादी- चंडबाली- राज कनिका-सतभाया खंड], संख्या 220, संख्या 320डी, संख्या 26, **संख्या 126, संख्या 126ए**, संख्या	ओडिशा राज्य

	326, संख्या 326ए, संख्या 130सी, संख्या 153बी, संख्या 353, संख्या 55 [केवल ओएमपी स्क्वायर कटक से नौगांव खंड], **संख्या 655**, संख्या 57, संख्या 157, **संख्या 157ए**, संख्या 59, और संख्या 63 के उतने भाग जो कि ओडिशा राज्य में अवस्थित हैं।	सरकार।”

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार संख्या का.आ.-5671(अ), तारीख 08 दिसंबर, 2025 द्वारा संशोधित किया गया था।

[फा. सं. एनएच- 14013/2/2025-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2026

S.O. 57(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 19 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
“19	So much of New National Highways No. 316 [excluding Bhubaneswar-Puri section (from Km. 0.000 to Km. 59.000 of old NH-203)], No. 516, No. 20 [Kuakhia- Jajpur- Aradi- Chandbali- Raj Kanika- Satabhaya section only], No. 220, No. 320D, No. 26, **No. 126, No. 126A**, No. 326, No. 326A, No. 130C, No. 153B, No. 353, No. 55 [OMP Square Cuttack to Naugaon Section only], **No. 655**, No. 57, No. 157, **No. 157A**, No. 59, and No. 63 as are situated within the State of Odisha.	State Government of Odisha.”

Note:- The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 5671(E), dated the 08th December, 2025.

[F. No. NH-14013/2/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2026

का.आ. 58(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 42(अ), दिनांकित 5 जनवरी, 2021 में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रमश: कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियों को विलोपित किया जाएगा:-

126	ओडिशा राज्य में बारापाली के निकट एनएच-26 पर अपने जंक्शन से शुरू होकर धौराखंड, पाणिमोरा, चिचींडा को जोड़ने वाला और सोहेला के निकट एनएच-53 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।	ओडिशा राज्य में संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग
126ए	ओडिशा राज्य में बारापाली के समीप एनएच-26 पर अपने जंक्शन से शुरू होकर रामपुर, सिंघीजुबा, बिसालपल्ली, नागपल्ली को जोड़ने वाला और सोनापुर के निकट एनएच-57 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।	ओडिशा राज्य में संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग

157ए	ओडिशा राज्य में फुलबनी के निकट एनएच -157 पर अपने जंक्शन से शुरू होकर जमुझरी, दुतिमेंडी, खजूरीपाड़ा को जोड़ने वाला और माधपुर के निकट एनएच-57 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।	ओडिशा राज्य में संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग
655	ओडिशा राज्य में अंगुल (अंगुल स्टेडियम) के निकट एनएच -55 पर अपने जंक्शन से शुरू होकर महिधरपुर, सतमील, रसोल, भापुर, अथगढ़, गोपीनाथपुर, टोटापाडा को जोड़ने वाला और कृष्णश्यामपुर के निकट एनएच-55 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।	ओडिशा राज्य में संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 42(अ), दिनांकित 5 जनवरी, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

[फा. सं. एनएच- 14013/2/2025-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2026

S.O. 58(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 42 (E), dated the 5th January, 2021, namely: -

In the Table to the said notification, the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted: -

126	The highway starting from its junction with NH-26 near Barapali connecting Dhaurakhanda, Panimora, Chichinda and terminating at its junction with NH-53 near Sohela in the State of Odisha.	Entire NH in the State of Odisha
126A	The highway starting from its junction with NH-26 near Barapali connecting Rampur, Singhijuba, Bisalpalii, Nagapalli and terminating at its junction with NH-57 near Sonapur in the State of Odisha.	Entire NH in the State of Odisha
157A	The Highway starting from its junction with N.H-157 near Phulbani connecting Jamujhari, Dutimendi, Khajuripada and terminating at its junction with NH-57 near Madhapur in the State of Odisha.	Entire NH in the State of Odisha
655	The highway starting from its junction with NH-55 near Angul (Angul stadium) connecting Mahidharpur, Satmile, Rasol, Bhapur, Athagarh, Gopinathapur, Totapada and terminating at its junction with NH-55 near Krushnashyampur in the State of Odisha.	Entire NH in the State of Odisha

Note: - The principal notification was published vide number S.O. 42 (E), dated the 5th January, 2021.

[F. No. NH-14013/2/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2026

का.आ. 59(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 380(अ), दिनांकित 24 जनवरी, 2019 में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रमश: कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियों को विलोपित किया जाएगा:-

एनएच-149	पल्लाहारा से पितरी खंड (ओडिशा राज्य में)	किमी. 0.000 से किमी. 68.280

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 380(अ), दिनांकित 24 जनवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

[फा. सं. एनएच- 14013/2/2025-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2026

S.O. 59(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 380(E), dated the 24th January, 2019, namely: -

In the Table to the said notification, the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted: -

NH-149	Pallahara to Pitri Section (in the State of Odisha)	km. 0.000 to km. 68.280

Note: - The principal notification was published vide number S.O. 380(E), dated the 24th January, 2019.

[F. No. NH-14013/2/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2026

का.आ. 60(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण संख्या 4896 (अ) दिनांकित 19 सितंबर, 2018 में प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3728 (अ), दिनांकित 19 सितंबर, 2018 को एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है।

[फा. सं. एनएच- 14013/2/2025-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2026

S.O. 60(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number 4896(E), dated the 19th September, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary No. 3728 dated 19th September, 2018 with immediate effect.

[F. No. NH-14013/2/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.01.06 14:46:39 +05'30'